



UPRB010015502014

न्यायालय VI Addl. District and Session Judge, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– (PRABHAT KUMAR YADAV), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01634

सत्र परीक्षण संख्या 464 / 2014
राज्य प्रति अमित यादव आदि

मुकदमा अपराध संख्या–363 / 2014
धारा 307 भा.दं.सं.
थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली।

13.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त पप्पू उर्फ सुरेन्द्र कुमार की आज की हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत, जो केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त अमित यादव उर्फ बल्लू अनुपस्थित। अन्य अभियुक्तगण उपस्थित।

अभियुक्त अमित यादव उर्फ बल्लू की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट पर थाना–हरचन्दपुर के उप निरीक्षक, प्रवेश तुषार द्वारा अमित यादव उर्फ बल्लू की मृत्यु आख्या प्रस्तुत की गयी, साथ में न्यायालय द्वारा प्रेषित गिरफ्तारी वारण्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत अमित यादव उर्फ बल्लू का मृत्यु प्रमाणपत्र व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत–कठवारा द्वारा निर्गत अभियुक्त अमित यादव उर्फ बल्लू का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

सी.डब्ल्यू.1 के रूप में उप निरीक्षक, प्रवेश तुषार को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपने मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त अमित यादव उर्फ बल्लू के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट पर अमित यादव उर्फ बल्लू की मृत्यु आख्या प्रदर्श–ख 1, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत अमित यादव उर्फ बल्लू का मृत्यु प्रमाणपत्र व ग्राम प्रधान–ग्राम पंचायत कठवारा की प्रधान आशा सिंह द्वारा निर्गत अभियुक्त अमित यादव उर्फ बल्लू का मृत्यु प्रमाण पत्र साबित किया है तथा कथन किया है कि अभियुक्त अमित यादव उर्फ बल्लू की मृत्यु दिनांक 09.06.2022 को हो गयी है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन यह सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तुत प्रकरण के **अभियुक्त**

अमित यादव उर्फ बब्लू की मृत्यु दिनांक 09.06.2022 को हो चुकी है।

अभियुक्त अमित यादव उर्फ बब्लू के विरुद्ध मुकदमा उपशमित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 05.10.2024 को पेश हो। नियत तिथि के लिये साक्षीगण 1 ता 3 जरिये समन तलब हो।

(प्रभात कुमार यादव)

षष्टम, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

13.09.2024

ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा,
आशुलिपिक